भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1538

दिनांक 07 दिसम्बर, 2021/ 16 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए निगरानी दल

†1538. श्री चिराग कुमार पासवान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या अनुपात में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए घुसपैठ की निगरानी करने और जांच के लिए एक विशेष निगरानी दल गठित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रकाश में आए घुसपैठ के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निसिथ प्रामाणिक)

(क) से (घ): सीमा रक्षक बलों समेत सरकारी एजेंसियां, घुसपैठ को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए मॉनीटरिंग कर रही हैं और कदम उठा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीमा पर घुसपैठ के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सीमा	घुसपैठ के मामलों की सं.
1.	भारत-पाकिस्तान	128
2.	भारत-बांग्लादेश	1787
3.	भारत-नेपाल	25
4.	भारत-भूटान	शून्य
5.	भारत-म्यांमार	133
6.	भारत-चीन	शून्य

सीमा रक्षक बलों द्वारा इन मामलों को मौजूदा कानूनों के तहत राज्य सरकारों समेत अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ गहन समन्वय करके निपटाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सीमापार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा रक्षक बलों की तैनाती करना, सीमा पर बाड़ लगाना एवं तेज रोशनी की व्यवस्था करना, गश्त लगाकर, नाके लगाकर एवं निगरानी चौकियां स्थापित करके सीमाओं पर प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित करना, सीमा चौकियों (बीओपी) की संवेदनशीलता की मैपिंग करना, विशेष निगरानी उपकरणों एवं वाहनों जैसे कि हाथ में पकड़े जाने वाले थर्मल इमेजर (एचएचटीआई), नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी), ट्विन टेलीस्कोप, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), लम्बी रेंज वाली मापन एवं निगरानी प्रणाली (एलओआरआरओएस), युद्ध क्षेत्र में निगरानी करने वाले रडार (बीएफएसआर), क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी)/पैन टिल्टिड एंड जूम (पीटीजेड) कैमरों से युक्त एकीकृत निगरानी की प्रौद्योगिकी तथा कमांड एवं कंट्रोल प्रणाली के साथ आईआर सेंसर्स और इन्फ्रारेड अलार्म आदि की तैनाती करना, घुसपैठ के विरुद्ध निरन्तर ऑपरेशन चलाना, आसूचना नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरंग-रोधी अभ्यास करना तथा रिवराइन गैप जैसे अव्यवहार्य सीमा क्षेत्रों में वाटरक्राफ्ट/नौकाओं, तैरने वाली सीमा चौकियों और प्रौद्योगिकीय सोल्यूशनों की तैनाती करना इत्यादि शामिल हैं।

******